प्रेस विज्ञप्ति

09.04.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ,हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने दिनांक 29.02.2024 को पिन्निती सुब्रमण्य श्रीनिवास के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, विशाखापत्तनम के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने उक्त अभियोजन शिकायत का संज्ञान ले लिया है।

ईडी ने पिन्निती सुब्रह्मण्य श्रीनिवास के खिलाफ कतर दूतावास, नई दिल्ली से प्राप्त दिनांक 04.08.2020 के पत्र रोगेटरी (एलआर) के आधार पर एक जांच शुरू की जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि पिन्निती सुब्रह्मण्य श्रीनिवास ने कतर में अपनी आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके रिश्वत ली और इस प्रकार अर्जित आय को भारत में अपने बैंक खातों में अंतरित किया । कतर में किए गए इस अपराध से संबंधित कानून, यानी एक लोक सेवक द्वारा रिश्वतखोरी की स्वीकृति, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 है जो धन शोधन निवारण अधिनियम , 2002 के तहत एक अनुसूचित अपराध है और जिसे सीमा पार के अपराध के मामलों की श्रेणी में गिना जाता है।

ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला कि मेसर्स अल मीरा कंज्यूमर गुड्स कंपनी, दोहा, कतर में क्रेता विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करते हुए पिन्निती सुब्रमण्य श्रीनिवास ने अपनी आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए उनसे रिश्वत ली और उक्त कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाया और गलत तरीके से भारी मात्रा में अवैध धन जमा किया जिसे आगे भारत में उसके बैंक खाते में अंतरित कर दिया गया,जिसका उपयोग अचल संपत्तियों के अधिग्रहण और म्यूचुअल फंड, एलआईसी पॉलिसियों आदि में निवेश के लिए किया गया।

इससे पहले, ईडी ने अक्टूबर 2023 में इस मामले में 1.40 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियों का अनंतिम रूप से कुर्की किया था।

****